रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2011/पौष 28, 1932
No. 22] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2011/PAUSA 28, 1932

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 30(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आयकर विभाग (समूह "घ") भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, आयकर विभाग में बहु कार्य कर्मचारिवृन्द के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर विभाग (बहु कार्य कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और शैक्षिक अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त/अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **प्रारम्भिक गठन.**—इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी पदों को, इन नियमों के प्रारम्भ से ठीक पहले नियमित आधार पर धारित करने वाला और मैट्रिक अर्हता धारित करने वाला व्यक्ति या जो गैर-मैट्रिकुलेट है और जिसे 1800 रुपये ग्रेड वेतन के साथ, वेतन बैंड-1 में रखे जाने योग्य पाया जाता है, इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया समझा जाएगा और उसके द्वारा की गई सेवा की गणना परिवीक्षा की अवधि, प्रोन्नति, पुष्टिकरण और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए की जाएगी ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु कार्य कर्मचारिवृन्द	7456* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, (5200-20200 रुपये) और ग्रेड वेतन 1800 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच । **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
आवश्यक : मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण । **कर्त्तव्यों की प्रकृति :** कर्त्तव्यों के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक या अधिक होंगे जो समय-समय पर समनुदेशित किए जाएंगे — (क) कार्यालय के अभिलेखों के अस्तित्व का अनुरक्षण । (ख) कार्यालय की साधारण सफाई और रख-रखाव । (ग) भवन के भीतर, फाइल और अन्य कागजों को लाना-ले-जाना । (घ) फोटो कॉपी करना, फैक्स को भेजना आदि । (ङ) अनुभाग या एकक में अन्य अलिपिकीय कार्य ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(8)

(च) नेमी कार्यालय कार्य जैसे डायरी, डिस्पैच आदि, जिसके अंतर्गत कम्प्यूटर पर कार्य करना भी सम्मिलित है, में सहायता करना ।

(छ) भवन से बाहर डाक या सूचनाओं का परिदान करना ।

(ज) पहरा और निगरानी का कार्य ।

(झ) कमरों को खोलना और बंद करना ।

(ञ) कमरों की सफाई करना ।

(ट) फर्नीचर आदि की धूल झाड़ना ।

(ठ) भवन, फिक्सचर आदि की सफाई झाड़ना ।

(ड) वाहनों को चलाना, यदि उसके पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है ।

(ढ) पार्कों, लानों, गमले के पौधों आदि का रख-रखाव करना ।

(ण) कोई अन्य कार्य, जो वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समनुदेशित किए जाएं ।

टिप्पण : कर्त्तव्यों की उपरोक्त सूची केवल दृष्टांत स्वरूप है न कि व्यापक ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (क) आय-कर अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) —अध्यक्ष (ख) आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय) जहां कोई आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय) नहीं है, वहां उस स्थान का ज्येष्ठतम आय-कर उपायुक्त —सदस्य (ग) केन्द्रीय उत्पाद और सीमा-शुल्क के स्थानीय उपायुक्त —सदस्य (घ) यदि (क) से (ग) के सदस्यों में से, कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है तो एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी जो आय-कर उपायुक्त या संपर्क अधिकारी की पंक्ति के नीचे का न हो —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12018/3/2010-प्रशासन 7]

पी. नारायणन, निदेशक (प्रशासन-7)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2011

G.S.R. 30(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Income-tax Department (Group 'D') Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Income-tax Department, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Income-tax Department (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and the pay band, grade pay or pay scale.**—The number of the said post, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and educational qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters connected there with shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. **Initial constitution.**—The persons holding the corresponding posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules, on regular basis, immediately before the commencement of these rules, and holding matriculation qualification or is a non-matriculate who is found fit to be placed in PB-1 with grade pay of Rs. 1800, shall be deemed to have been appointed under these rules and the services rendered by them shall be counted for the purpose of period of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi Tasking Staff	7456* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 1800	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed

(7)
for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential : Matriculation or equivalent pass. **Nature of duties :** Duties shall include one or more of the following, to be assigned from time to time :— (a) Physical maintenance of records of the office. (b) General cleanliness and upkeep of the office. (c) Carrying of file and other papers within the building. (d) Photocopying, sending of fax, etc. (e) Other non-clerical work in the section or unit. (f) Assisting in routine office work like diary, dispatch etc. including work on computer. (g) Delivering of dak or notices outside the building. (h) Watch and ward duties. (i) Opening and closing of rooms. (j) Cleaning of rooms. (k) Dusting of furniture etc. (l) Cleaning of building, fixtures, etc. (m) Driving of vehicles, if in possession of valid driving licence. (n) Upkeep of parks, lawns, potted plants, etc. (o) Any other work assigned by the superior authority.	Not applicable	Two Years

(8)
Note : The above list of duties is only illustrative and not exhaustive.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— (a) Additional or Joint Commissioner of Income-tax (Headquarters) —Chairperson (b) Deputy Commissioner of Income-tax (Headquarters) where there is no Deputy Commissioner of Income-tax (Headquarters), the senior-most Deputy Commissioner of Income-tax at the station —Member (c) Local Deputy Commissioner of Customs and Central Excise —Member (d) One Scheduled Caste or Scheduled Tribe Officer not below the rank of Deputy Commissioner of Income-tax or Liaison Officer, unless one of the members at (a) to (c) belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe. —Member	Not applicable

[F. No. A-12018/3/2010-Ad. VII]

P. NARAYANAN, Director (Ad. VII)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.